



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 10.11.22

**थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 वंछित अभि० सम्बन्धित मु०अ०सं० 1041/22 धारा 376,313 भादवि को गिरफ्तार किया गया।**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 10.11.2022 समय 03.00 बजे शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास शहजाद के मकान पर उ०नि० श्री पूरनलाल द्वारा गिरफ्तार किया गया।



**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.आमिल खां पुत्र आविद खां निवासी ग्राम अमरपुर पोस्ट व थाना खानपुर जिला बुलंदशहर हाल पता किरायेदार शहजाद का मकान कल्लन चौक शहीदनगर साहिबाबाद गा०बाद उम्र करीब 24 वर्ष

**गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास**

1. मु०अ०सं० 1041/22 धारा 376,313 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ०नि० श्री पूरनलाल

उ०नि० श्री सुनील कुमार

**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दो कट्टो में नाजायज आतिशबाजी मिश्रित पटाखे / अर्ध निर्मित पटाखे बरामद**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय लोनी के उचित निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री पुनीत कुमार की टीम द्वारा दिनांक 09.11.22 समय 19.50 बजे दौरान चैकिंग ट्रांसफार्मर वाली गली के पास वाली गली में पावी सादकपुर चौकी क्षेत्र पुस्ता से 02 नफर 1.साजिद पुत्र सिराजुदीन उम्र 30 वर्ष नि0 फरुखनगर बच्चु चाय वाले के पास थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद 2.रिहान पुत्र इकबाल उम्र 19 वर्ष नि0 फरुखनगर बच्चु चाय वाले के पास थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया,जिनके कब्जे से दो कट्टो में नाजायज आतिशबाजी पटाखे / अर्ध निर्मित पटाखे बरामद हुये।

**नाम पता अभियुक्त:-**

1.साजिद पुत्र सिराजुदीन उम्र 30 वर्ष नि0 फरुखनगर बच्चु चाय वाले के पास थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद 2.रिहान पुत्र इकबाल उम्र 19 वर्ष नि0 फरुखनगर बच्चु चाय वाले के पास थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

**आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 630/22 धारा 336 भादवि व 9(B)(1)(B) विस्फोटक अधिनियम-1884

**अपराध करने का तरीका: -**

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम आतिशबाजी मिश्रित पटाखे / अर्ध निर्मित पटाखे चोरी छुपे बेचकर पैसे कमाते हैं व कमाये हुए पैसे से अपने परिवार का पेट पालते हैं व अपने शौक पूरे करते है।

**गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उरवि यादव 0नि0
2. है रविन्द्र कुमार 1468 0का0

**बरामदी का विवरण:-**

दो कट्टो में नाजायज आतिशबाजी पटाखे